



## प्रेसनोट थाना अछनेरा जनपद आगरा ।

**थाना अछनेरा पुलिस टीम द्वारा अवैध शराब बनाना बिक्री करने वाले गिरोह के 02 और अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, कब्जे से 02 अदद शराब की पेटी व अन्य सामान बरामद...**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा द्वारा दिये गये आदेशानुसार, जनपद में अवैध शराब की तस्करी करने व परिवहन निर्माण आदि अपराधों की पूर्ण रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पश्चिमी आगरा के निर्देशन में, क्षेत्राधिकारी अछनेरा के सफल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी अछनेरा द्वारा मय गठित पुलिस टीम के दिनांक 23.07.2021 को संदिग्ध व्यक्ति/वाहन हेतु किरावली चौराहे पर चैकिंग की जा रही थी। इस दौरान मुखबिर खास द्वारा मिली कि महुअर पुल के आगे हर्ष ढाबा में भारी मात्रा में नकली अवैध शराब बनाकर पैक की जा रही है। यदि जल्दी की जाये तो गिरफ्तार किये जा सकते हैं।

### ➤ पुलिस टीम द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण:-

इस सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम द्वारा बताये स्थान पर पहुँच एक बारगी की दबिश देकर घेर घोट कर 02 अभियुक्तों 1. विष्णु व 2. रामवीर को गिरफ्तार कर लिया व 02 अभियुक्त 1. सहदेव व 2. अनुज अंधेरे का फायदा उठाकर भागे गये थे।

पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तों के कब्जे से नकली अपमिश्रित देशी शराब 69 पेटी में भरे हुये 3105 पौवा, 21 ड्रम भरे हुए रैक्टीफाइड स्पिरिट कुल 4200 लीटर, एक टंकी क्षमता 500 ली0 जिसमें 50 ली0 अपमिश्रित तैयार शराब, 07 लीटर कैमिकल कैरामल, 103 रैपर नकली फाइटर ब्रान्ड व 64 QR कोड नकली, खाली 252 पौवा, 197 ढक्कन, 05 ड्रम बड़े खाली, 04 भगोने एल्मुनियम, 05 जग स्टील, एक पाइप प्लास्टिक, 01 मोटर पम्प, 02 अदद मोटर साइकिल व 01 अदद महिन्द्रा पिकअप बरामद किये गये थे। इस सम्बन्ध में थाना अछनेरा पर मु0अ0सं0 237/2021 धारा 60(1)/72 आबकारी अधिनियम व 255/258/259/260/272/273/419/420/467/468/471 भादवि पंजीकृत किया गया था

### ➤ पूछताछ का विवरण:-

पुलिस टीम द्वारा पूछताछ करने पर अपना नाम अभियुक्तगण ने अपना नाम 1. रामवीर पुत्र छन्नो निवासी बडी पार्टी रायभा थाना अछनेरा जनपद आगरा, 2. विष्णु पुत्र रामवीर निवासी बडी पार्टी रायभा थाना अछनेरा आगरा बताया गया था। अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि ढाबा के परिसर में ढलान पर एक मैक्स पिकअप में देशी शराब की पेटिया लोड कर रहे थे। यह शराब हर्ष ढाबा के परिसर में बनाई जाती है। शराब फैक्ट्री का संचालक सहदेव पुत्र रामप्रकाश निवासी महुअर थाना अछनेरा जनपद आगरा व अनुज पुत्र गुड्डा उर्फ उमेश निवासी महुअर थाना अछनेरा जनपद आगरा करते हैं और ढाबा के मालिक भी है। अभियुक्त विष्णु ने पिकअप के सम्बन्ध में बताया कि यह मैक्स पिकअप मेरी है। हम इसमें,





इस फैक्ट्री से शराब की पेटिया लादकर फैक्ट्री मालिक के बताये अनुसार विचपुरी में हेन्द्र निवासी ग्राम कचौरा थाना अछनेरा जनपद आगरा व किरावली में दो अज्ञात व्यक्ति जिन्हे सहदेव फोन करके मेरे पास भेजता था और वह माल लेकर चले जाते थे। हम लोग बिचपुरी व रुनकता क्षेत्र के ठेकों से असली शराब की पेटि व खाली गत्ते खरीद कर उनमें नकली शराब भरकर व फाइटर ब्राण्ड के स्टीकर लगाकर सप्लाई करते हैं तथा मेरे पिता रामवीर भी इस काम को करते है।

## ➤ अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी:-

पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार अभियुक्तगण की निशादेही पर दिनांक 24.07.2021 को अशोक कुमार के देशी शराब की दुकान जऊपुरा थाना सिकन्दरा पर दबिश दी गयी तो दुकान से 01 पेटि अवैध शराब तथा 03 खाली गत्ते की पेटि जिन पर बिजलीघर स्थित शराब की दुकान का बार कोड प्रदर्शित हुआ, बरामद किये गये तथा सैल्समेन अभियुक्त पुष्पेन्द्र पुत्र प्रीतम सिंह निवासी अरदाया थाना अछनेरा जनपद आगरा को गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना अछनेरा पर मु0अ0सं0 239/21 धारा 7/60(1)/64 आबकारी अधिनियम व 419/420/467/468/471 भादवि पंजीकृत किया गया।

तत्पश्चात पुलिस टीम द्वारा नरेन्द्र शर्मा के देशी शराब की दुकान रुनकता थाना सिकन्दरा पर छापा मारा जहाँ 01 अदद अवैध शराब की पेटि, 02 खाली गत्ता बरामद किये गये, जिन पर बिजलीघर स्थित दुकान का बार कोड प्रदर्शित हुआ, बरामद किये गये तथा सैल्समेन अभियुक्त भगवान सिंह पुत्र सोवरन सिंह निवासी ग्राम नगला सराय थाना फतेहपुर सीकरी जनपद आगरा को गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना अछनेरा पर मु0अ0सं0 240/21 धारा 7/60(1)/64 आबकारी अधिनियम व 419/420/467/468/471 भादवि पंजीकृत किया गया।

❖ पुलिस टीम द्वारा पकड़े गये माल की अनुमानित करीब रु0 45,000,00/- है।

## ➤ गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

### ● दिनांक 23.07.2021 को गिरफ्तार अभियुक्त-

1. रामवीर पुत्र छन्नो निवासी बडी पार्टी रायभा थाना अछनेरा जनपद आगरा।
2. विष्णु पुत्र रामवीर निवासी बडी पार्टी रायभा थाना अछनेरा जनपद आगरा।

### ● दिनांक 24.07.2021 को गिरफ्तार अभियुक्त-

1. पुष्पेन्द्र पुत्र प्रीतम सिंह निवासी अरदाया थाना अछनेरा जनपद आगरा।
2. भगवान सिंह पुत्र सोवरन सिंह निवासी ग्राम नगला सराय थाना फतेहपुर सीकरी जनपद आगरा।



## ➤ फरार अभियुक्तगण:-

1. सहदेव पुत्र रामप्रकाश निवासी महुअर थाना अछनेरा जनपद आगरा
2. अनुज पुत्र गुड्डा उर्फ उमेश निवासी महुअर थाना अछनेरा जनपद आगरा
3. पुष्पेन्द्र पुत्र हरी सिंह निवासी अरदाया थाना अछनेरा जनपद आगरा ।
4. हरेन्द्र पुत्र पित्तो निवासी ग्राम कचौरा थाना अछनेरा जनपद आगरा ।
5. अशोक कुमार चौधरी ( मालिक देशी शराब की दुकान जऊपुरा थाना सिकन्दरा आगरा )
6. नरेन्द्र शर्मा पुत्र ज्योति प्रसाद शर्मा निवासी विमल विहार कालोनी थाना सिकन्दरा जनपद आगरा (मालिक देशी शराब की दुकान रुनकता थाना सिकन्दरा आगरा )

## ➤ बरामदगी का विवरण:-

1. नकली अपमिश्रित देशी शराब 69 पेटी मे भरे हुये 3105 पौवा ।
2. 21 ड्रम भरे हुए रैक्टीफाइड स्पिरिट कुल 4200 लीटर ।
3. 01 टंकी क्षमता 500 ली0 जिसमे 50 ली0 अपमिश्रित तैयार शराब ।
4. 07 लीटर कैमिकल कैरामल ।
5. 103 रैपर नकली फाइटर ब्रान्ड ।
6. 64 QR कोड नकली ।
7. खाली 252 पौवा ।
8. 197 ढक्कन ।
9. 05 ड्रम बडे खाली ।
10. 04 भगोने एल्मुनियम ।
11. 05 जग स्टील ।
12. 01 पाइप प्लास्टिक ।
13. 01 मोटर पम्प ।
14. 02 अदद मोटर साइकिल ।
15. 01 अदद महिन्द्रा पिकअप ।

### ● शराब की दुकान से बरामदगी का विवरण:-

1. 01 अदद अवैध शराब पेटी तथा 03 खाली गत्ता ( जऊपुरा थाना सिकन्दरा जनपद आगरा )
2. 01 अदद अवैध शराब की पेटी, 02 खाली गत्ता ( रुनकता थाना सिकन्दरा जनपद आगरा )

## ➤ अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 237/2021 धारा 60(1)/72 आबकारी अधिनियम व 255/258/259/260/272/273/419/420/467/468/471 भादवि ।





## ➤ गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री उदयवीर सिंह मलिक थाना अछनेरा जनपद आगरा ।
2. व0उ0नि0 श्री सोवरन सिंह थाना अछनेरा जनपद आगरा ।
3. उ0नि0 श्री चन्द्रेश गौतम थाना अछनेरा जनपद आगरा ।
4. उ0नि0 श्री रज्जन बाबू थाना अछनेरा जनपद आगरा ।
5. उ0नि0 श्री योगेश कुमार थाना अछनेरा जनपद आगरा ।
5. उ0नि0 श्री उदयवीर सिंह थाना अछनेरा जनपद आगरा ।
6. कां0 रजत कटियार थाना अछनेरा जनपद आगरा ।
7. कां0 मोहित कुमार थाना अछनेरा जनपद आगरा ।
8. कां0 धर्मेन्द्र कुमार थाना अछनेरा जनपद आगरा ।
9. कां0 सत्यजीत थाना अछनेरा जनपद आगरा ।
10. कां0 राकेश चन्द थाना अछनेरा जनपद आगरा ।

मीडिया सेल जनपद आगरा